न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04/2017
प्रविष्टि दिनांक 23.01.2017

1–बुद्विराम पुत्र सीताराम जाति गुर्जर निवासी भांची (देवली) तहसील व जिला टोंक
2–श्रीमति स्याणी पत्नि मौजीराम जाति गुर्जर निवासी भांची (देवली) तहसील व जिला टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 805 दिनांक 04.02.2008 वाके ग्राम भाची तहसीलदार टोंक

उपस्थिति –(1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 01.02.2023**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 04.02.2008 को खातेदार फूला देवी पुत्री माधो व बद्रीलाल पुत्र माधो जाति गुर्जर निवासी भाची आदि तहसील टोंक का नामान्तरकरण सं0 805 दिनांक 04.02.2008 से तहसीलदार टोंक द्वारा खसरा नम्बर 146/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा,खसरा नम्बर 146/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 145 रकबा 10 बिस्वां वाके ग्राम भाची को खातेदारी से सिवायचक करने का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है,जो विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार टोंक ने नामान्तरकरण संख्या 805 से खातेदार फूला देवी पुत्री माधो कोम गुर्जर निवासी ग्राम भांची–देवली की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को अवैध रूप से सिवायचक बिला लगानी, गैर मुमकिन तालाबी अकित करते हुये का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। आराजी ख न 146/2 व 146/1 ख न 145

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

ग्राम भांची तहसील टोक किता 3 रकबा 2 बीधा 14 बिस्वा भूमि को बिना किसी निर्णय या सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना गैर मुमकिन तालाबी व गैर मुमकिन चाह के रूप मे अंकित करते हुये तहसीलदार टोंक ने नामान्तरकरण सं. 805 तस्दीक किया है। उक्त वर्णित भूमि मे किसी प्रकार का तालाब नहीं रहा, उक्त भूमि मे कभी बरसात का पानी नहीं भरा, यह भूमि तालाब के रूप में उपयोग व उपभोग में नहीं आई, इस भूमि की उपयोगिता कभी भी तालाबो के रूप में नहीं हुई,बल्कि यह शुरू से लेकर आज तक काबिल काश्त अर्थात कृषि भूमि योग्य है एंव शुरू से लेकर आज तक मौके पर काश्त एंव खेती होती चली आ रही है,परन्तु तहसीलदार ने नाजायज रूप से केवल जमाबन्दी को आधार मानकर मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर गैर मुमकिन तालाबी माना है। तहसीलदार ने अपने नामान्तरकरण मे राजस्थान उच्च न्यायालय की सिविल जनहित याचिका अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय को आधार मानकर नामान्तकरण स्वीकार किया है, उक्त नामान्तरकरण में किसी भी निर्णय का उल्लेख, उसका उनवान, नहीं है, अपीलान्ट ने उक्त निर्णय की उपखण्ड अधिकारी टोक के यहां एवं रिकार्ड रूम में जानकारी करने तथा नकल के लिऐ प्रा0पत्र भी पेश किया,परन्तु ऐसे किसी भी निर्णय की नकल या सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया गया है। अपीलान्ट का मोके पर कब्जा चला आ रहा है, तथा खेत बने हुऐ है, अपीलान्ट फूला देवी के वारिसान है, इनके हक मे फूला देवी ने अपनी भूमियो के दान–पत्र कर दिये थे,इस कारण अपीलान्ट पक्षकार है। अपीलान्ट को पूर्व में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार टोंक द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक मे राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दुरूस्त इन्द्राज हेतु खसरा नम्बर साबिक 158 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा किस्म तालाब वाके ग्राम भाची जिसके हाल खसरा नम्बर 145 रकबा 10 बिस्वा,खसरा नम्बर 146/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 146/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 2 बीधा 18 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 158 किस्म तालाब होने से उक्त भूमि धारा 16 मे वर्णित होने से तथा माननीय उच्च न्यायालय के डी.बी.सिविल जन हित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 13.09.2007 से हाल खसरा नम्बर 145 रकबा 10 बिस्वा,खसरा नम्बर 146 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा को पुनः राजकीय खाते मे गै.मु. तालाबी अंकित किये जाने के आदेश की पालना मे तहसीलदार टोंक द्वारा नामान्तकरण संख्या 805 दिनांक 04.02.2008 वाके ग्राम भाची तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 13.09.2007 से हाल खसरा नम्बर 145 रकबा 10 बिस्वा,खसरा नम्बर 146 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा को पुनः राजकीय खाते मे गै.मु. तालाबी अंकित किये जाने के आदेश की पालना मे तहसीलदार टोंक द्वारा नामान्तकरण संख्या 805 दिनांक 04.02.2008 वाके ग्राम भाची

जिला कलेक्टर
टोंक

खातेदार फूला पुत्री माधो जाति गुर्जर सा. देह खातेदार वगैरहा से सिवायचक करने का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि नामांतरण तस्दीक किये जाने से पूर्व तहसीलदार टोंक द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, परन्तु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक की पत्रावली संख्या 122/2007 कि आदेशिका दिनांक 26.07.2007 मे अप्रार्थीगण (अपीलांट्स) की और से कोई भी उपस्थित नही होने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करने का उल्लेख है। चूंकि तहसीलदार टोंक ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 13.09.2007 की पालना मे नामान्तकरण संख्या 805 दिनांक 04.02.2008 तस्दीक किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 805 दिनांक 04.02.2008 वाके ग्राम भाची तहसील टोंक यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)